भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/23

विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 23 अप्रैल 2024

रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों में कारोबार - लघु वित्त बैंक

कृपया 05 अप्रैल 2024 को वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ 06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. वर्तमान दिशानिर्देश लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को स्वामित्व हेजिंग के उद्देश्य से केवल ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। एसएफबी को उनके तुलन पत्र और वाणिज्यिक संचालन में ब्याज दर जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से हेज करने के लिए उपलब्ध अवसरों का विस्तार करने के साथ-साथ उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, अब उन्हें 26 जून, 2019 के रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019, यथा संशोधित के संदर्भ में ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए अनुमेय रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों में सौदा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

प्रयोज्यता

3. यह परिपत्र सभी लघु वित्त बैंकों पर लागू है।

4. यह अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग,केंद्रीय कार्यालय, 12 वीं और 13 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,फोर्ट,मुंबई-400001
दूरभाष: 022-22601000 फैक्स: 022-22705691 ई-मेल: cgmicdor@rbi.org.in

Department of Regulation, Central Office, 12th and 13th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai- 400 001
Tel: 022- 2260 1000 Fax: 022-2270 5691 email: cgmicdor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए